



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 05 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 23-02-2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल पुत्र श्री रणजीत सिंह, जो युसुका, थाना-शिवालाकला, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.08.1989 को अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर सुखराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-385/1989, भा0द0वि0 की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-04, बिजनौर के दण्डादेश दिनांक 06.06.1991 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.04.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णित करते हुये मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 05 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है, सीमित अपराध की श्रेणी में होने, किन्तु भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपनाध करने में सशक्त होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा पुलिस अधीक्षक, बिजनौर की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 04.09.2025 तक बन्दी की आयु 57 वर्ष, 10 माह एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 05 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल (बन्दी संख्या-50684) पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1340/2026/738(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।